रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2000/आश्विन 27, 1922
No. 539] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2000/ASVINA 27, 1922

## वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000

**सं. 63/2000-गै.टै. सीमाशुल्क**

**सा.का.नि. 802(अ).**—सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 3 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक पहली जनवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4(अ) को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन की अध्यक्षा, श्रीमती राठी विनय झा को उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए पदनामित प्राधिकारी के रूप में अगले आदेश होने तक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 525/2/94-सीमा शुल्क (टै. यू.) खण्ड-2]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2000

**No. 63/2000-NT-Customs**

**G.S.R. 802(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. G.S.R. 4(E) dated the 1st January, 1995, the Central Government hereby appoints Smt. Rathi Vinay Jha, Chairperson, India Trade Promotion Organisation as designated authority for the purposes of said rules, until further orders.

[F. No. 525/2/94-CUS (TU) Pt. 2]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

2838 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2000/आश्विन 27, 1922
No. 540] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2000/ASVINA 27, 1922

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000

**सं. 52/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

**सा. का. नि. 803(अ).**— केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/2000 के.उ., तारीख 26 मई, 2000 (सा.का.नि. 500(अ) तारीख 26 मई, 2000) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई थीं या किए जाने से लोप किया गया था, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क्य माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को जब भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोन कहा गया है) मे अवस्थित किसी एकक द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) माल के विनिर्माण, सेवाओं, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, व्यापार, मरम्मत, सुधार करने, पुनः इंजीनियरी, पैकेजिंग या उससे संबंधित किसी प्रयोजन के लिए और उसके निर्यात (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) के संबंध में, भारत के अन्य भागो मे स्थित विनिर्माण कारखाने या भांडागार से लाया गया हो, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—